भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **1728** जिसका उत्तर

गुरूवार, **28 नवम्बर**, 2019/7 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

1728. श्री राजू बिष्टः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय अंतर्देशी जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिवहन हेतु नदियों के उपयोग की योजना की क्या स्थिति है;

(ख) क्या इसके लिए गंगा नदी के उपयोग करने की तर्ज पर उत्तरी बंगाल से माल परिवहन के लिए नदियों के उपयोग की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क): भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) पोत परिवहन और नौचालन के उद्देश्यों से तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास करने के लिए आज्ञापित है। पोत परिवहन और नौचालन के विकास तथा देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को रेल और सड़क परिवहन की तुलना में किफायती, पर्यावरण अनुकूल तथा अनुपूरक परिवहन साधन के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए, 111 अंतर्देशीय जलमार्गों (पहले से घोषित 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय जलमार्ग' घोषित किया गया था। इन राष्ट्रीय जलमार्गों में शुरू की गई परियोजनाओं का ब्योरा निम्नानुसार है-

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 (इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली), रा.ज.-2 (धुबरी से सादिया तक ब्रह्मपुत्र नदी), रा.ज.-3 (उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ कोट्टापुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर) को फेयरवे नौचालन सहायक सामग्री, कार्गो को लादने और उतारने के लिए यांत्रीकृत उपकरण संभलाई सुविधाओं के साथ जेट्टियों

और टर्मिनलों सहित विकसित कर दिया गया है। ये रा.ज. प्रचालनरत हैं और इनमें जलयानों की आवाजाही हो रही है। इसके अतिरिक्त; रा.ज.-10 (अम्बा नदी), रा.ज.-68 (मांडोवी नदी), रा.ज.-73 (नर्मदा नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रेवादंडा क्रीक - कुंडालिका नदी प्रणाली), रा.ज.- 91 (शास्त्री नदी - जयगढ़ क्रीक प्रणाली), रा.ज.-97 (सुंदरबन जलमार्ग), रा.ज.-100 (तापी नदी) तथा रा.ज.-111 (जुआरी नदी) भी प्रचालनरत हैं।

विश्व बैंक की तकनीकी और आर्थिक सहायता से रा.ज.-1 के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर नौचालन क्षमता आवर्धन के लिए 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित की जा रही है। वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों की समयावधि में 1800 करोड़ रु. (लगभग) की परियोजनायें वास्तविक रूप से शुरू हो गई हैं।

कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्तयाला जलखंड (रा.ज.-4 के भाग) पर 96 करोड़ रु. की लागत से फेयरवे विकास कार्य शुरू हो गये है।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा 106 नये राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए तैयार की गयी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के परिणाम के आधार पर तकनीकी रूप से व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित नौचालन और पोत परिवहन के लिए तकनीकी मध्यवर्ती हस्तक्षेपों की योजना बनाई गई है। नये राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए अब तक पूरे हो चुके डीपीआर के अनुसार, 36 रा.ज. तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाये गये हैं और 10 राष्ट्रीय जलमार्गों, नामत: रा.ज.-9, रा.ज.-16, रा.ज.-27, रा.ज.-37, रा.ज.-40,रा.ज.-58, रा.ज.-68, रा.ज.-86, रा.ज.-97, रा.ज.-111 पर विकासात्मक गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं।

(ख) और (ग): उत्तर बंगाल में कोई भी राष्ट्रीय जलमार्ग माल के परिवहन के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया है, और, इसलिए इस बारे में कोई योजना नहीं है।

*****